दिनांक-22.10.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पटना सिटी गुरूद्वारा स्थित पटना नगर निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति का निरीक्षण।

भ्रमण के समय नगर आयुक्त, पटना नगर निगम व प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अभियंता, बुडको, मो.अब्बास, विद्युत सहायक अभियंता उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बाडे की गली का निरीक्षण किया गया एवं निम्नलिखित आदेश दिया गया:-

1) अशोक राज पथ को जोड़ने वाली बाड़े की गली के प्रवेश विन्दु पर बाल लीला गुरूद्वारा के पुराने स्ट्रक्चर जो सड़क के एलाइनमेन्ट में था, को हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0-अधीक्षण अभि.,पर्यटन विभाग)

2) बाडे की गली में ढलाई की गयी सड़क का सतह को अच्छे ढंग से समतलीकरण करने का निदेश दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि.,पर्यटन विभाग)

3) बाडे की गली के फ्लैंक में ढलाई का कार्य नहीं हुआ था। कही कही वाल टू वाल ढलाई नहीं किया गया था, जिसे वाल टू वाल ढलाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

4) गुरू गोविन्द सिंह उच्च विद्यालय के अन्दर से बाडे की गली के ऊपर गन्दे पानी का रिसाव होते देखा गया एवं सफाई कई दिनों से नहीं हुआ पाया गया, जिसे अविलंब सफाई कराने का निर्देश एवं गन्दे पानी को ड्रेन आउट करने का निदेश दिया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

5) वाडे की गली में खाली प्लॉट में काफी मात्रा में कचड़ा एवं झाड़ी उगा हुआ था। प्लॉट श्री लल्लु जोशी (मो0-9334203270) का है, जिसे हटाने का निर्देश भूस्वामी को दिया गया। यदि भूस्वामी के द्वारा नहीं हटाया जाता है तो कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल उसे कल हटाना सुनिश्चित करें।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

6) वाडे की गली में कई मकान मालिकों द्वारा घर का गन्दा पानी सड़क पर गिराया जा रहा था, जिसे स्थल पर निर्मित नाले में जोड़ने का निर्देश दिया गया। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल उनपर फाईन करें।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

7) बाडे की गली में पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण का अवशेष/मलवा रोड पर पड़ा हुआ पाया गया, जिसे पर्यटन विभाग को आज ही हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

8) कचौड़ी गली एवं दरिवाबाद गली के जंक्शन पर पर्यटन विभाग द्वारा दो फीट के ब्यास का ह्यूम पाईप लगाने की प्रस्तावित योजना को चार फीट में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया। क्योंकि इस जंक्शन पर नाले के पानी का निस्तार काफी अधिक देखा गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

9) बाडे एवं दरिवाबाद की गली के जंक्शन पर बीच में बिजली का पोल को हटाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर हटवाना सुनिश्चित करें।

(अनु0-जी.एम.पेसू)

कचौड़ी गली:-

1) कचौड़ी गली में कई जगहों पर कूड़ा बिखरा हुआ पाया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

2) कचौड़ी गली में मकान मालिक जिनका मोबाईल नं0-7808360845 के द्वारा गली में नाले के ऊपर अनधिकृत रूप से सीढ़ी का निर्माण कर लिया गया है, जिसे उन्हें तोड़कर हटाने का आदेश दिया गया है। यदि ये 24 घंटे के अन्दर नहीं हटाते है तो कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अपसारण सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

हरमंदिर गली:-

1) हरमंदिर गली में भी अनधिकृत रूप से कुछ लोगों के द्वारा नाले के ऊपर सीढ़ी बनाए हुए था, जिसे तोड़ने का आदेश दिया गया तथा कई गृह स्वामियों द्वारा घर का गंदा पानी गली में गिराया जा रहा था, जिन्हें मुख्य नाले में जोड़ने का आदेश दिया गया। यदि गृह स्वामी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो कार्यपालक पदाधिकारी उनके विरूद्ध दण्ड अधिरोपित करें।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

2) दरिवाबाद गली के नाले एवं पी.सी.सी. का कार्य को अविलंब पूर्ण करने हेतु पर्यटन विभाग के अभियंताओं को निदेश दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

बाल लीला गुरूद्वारा रोड:-

1) बाल लीला से अशोक राजपथ को जोड़ने वाली पथ के कोने पर श्री प्रहल्लाद प्रसाद के द्वारा सड़क पर छज्जा निकालकर ढलाई करने का योजना बना रहे थे, जिनके कार्य को अनधिकृत पाया गया और उन्हें निदेश दिया गया कि निर्माण से संबंधित स्वीकृत नक्शे की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्ट करें, उसके पश्चात ही आगे का निर्माण करेंगे।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

मंगल तालाब:-

1) मंगल तालाब के चारों ओर टूटे हुए टाईल्स को लगाने व पेन्टींग करने का निर्देश पर्यटन विभाग के अभियंताओं को दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

2) रामदेव महतो अतिथिशाला से निकलने वाला गन्दा पानी सीधे मंगल तालाब में गिराया जा रहा है, जिसे मुख्य नाले में जोड़ने का आदेश दिया गया।

(अनु0-जिलाधिकारी, पटना)

3) मंगल तालाब के पश्चिम उत्तर कोने पर सेकेन्ड्री कूड़ा प्वाईंट के कूड़े को शुन्य करने का निदेश दिया गया तथा मैदाननुमा चौड़े भूभाग को विकसित कर सिमेन्टेड गमला प्लान्टेशन लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही कूड़ा प्वाईंट के तरफ से अस्थायी पर्दा लगाने का भी निदेश दिया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

4) पन्ना लाल यादव मुक्ताकाश मंच जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया, उसे पर्यटन विभाग को पेन्ट कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-पर्यटन विभाग)

5) मंगल तालाब के चारों तरफ अन्दर एवं बाहर झाडियों की कटाई का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी को दिया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

6) मंगल तालाब में अवस्थित घाटों की मरम्मति का निर्देश दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

7) जूता घर के पहुँच पथ के बगल से गुजरने वाली कच्चे नाले को बॉक्स नाला बनाने का निदेश दिया गया।

(अनु0-का.अभि., प.सि.प्र.)

<u>कंगन घाटः-</u>

1) कंगन घाट के कोने पर नाले में गंदा पानी जमा हुआ पाया गया जिसे प्रोपर स्लोप देकर निकासी का निर्देश दिया गया। साथ ही कोने पर काफी कचड़ा पड़ा हुआ था, जिसे हटाने का भी निदेश दिया गया।

(अनु0-का.अभि., प.सि.प्र.)

2) कंगन घाट के अन्डर पास के रास्ते में कीचड़ व पानी का जमाव पाया गया, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0- अधीक्षण अभि., पर्यटन विभाग)

3) कंगन घाट से गंगा तट तक जाने वाले निर्मित पहुँच पथ के ऊपर तोड़े गये टाइल्स के मलवे व मिट्‌टी पाया गया जिसे आज ही हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0-का.अभि., प.सि.प्र.)

4) कंगन घाट के सामने के भवन को रंगाई करने का निर्देश भवन मालिक को स्थल पर दिया गया तथा भवन मालिक ने रंगाई की बात स्वीकार किया।

(अनु0-का.पदा.प.सी.अं.)

5) चौक थाना के सामने थाना निर्माण के क्रम में निकला हुआ मलवा एकत्र किया हुआ पाया गया, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सिटी)

6) स्टेशन से मोर्चा रोड तथा गुरूद्वारा से गुरू के बाग तक पथों में लाईटिंग का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनु0-श्री सत्येन्द्र सिंह, का.अभि.बुडको)

7) गुरू के बाग के सामने पड़े कचड़े के अम्बार को अविलंब हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सिटी)

8) पटना सिटी बाजार समिति में आर.सी.डी. के द्वारा सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क के फ्लैंक में कचरे का ढेर पाया गया, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0-का.पदा.प.सिटी)

9) बाजार समिति के पहुँच पथों व आन्तरिक पथों में लाईटिंग करने का निदेश दिया गया, क्योंकि इस स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था की जानी है।

(अनु0-श्री सत्येन्द्र सिंह का.अभि.बुडको)

10) अशोक राज पथ में कई जगहों पर टेलिफोन के पोल सड़क पर खड़े थे, जिसे हटाने का निर्देश दिया गया।

(अनु0-सहायक अभि., दूर संचार विभाग, प.सि.अं.)

अन्त में भ्रमण के दौरान गुरूद्वारा स्थित सभी गलियों/पथों जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, में भवन के अग्रभाग को एक समान रंग से पोताई करने का अपील जिलाधिकारी, पटना के माध्यम से समाचार पत्रों में कराई जाय।

26/10/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञाप संख्या : 7879 / न0वि0/पटना, दिनांक-26/10/2016

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/अधीक्षण अभियंता, पर्यटन विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल/जी.एम.पेसू, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग